



उत्तराखण्ड - UTTARAKHAND

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

10AA 477062

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

19 रायपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग

ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं महेश कौशल पुत्र स्व0 श्री आर0पी0 कौशल आयु 43 वर्ष, जो नेहरू ग्राम  
रायपुर देहरादून, (19 रायपुर, विधान सभा), देहरादून का निवासी हूँ और

निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय  
किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम  
अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए  
हैं।

(यदि अभिलाषी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह  
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी): -सागू नहीं

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं।
- (ii) पुलिस थाना (थाने) रायपुर जिला या जिले देहरादून राज्य उत्तराखण्ड।
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं।
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचनाक की गई, लागू नहीं।
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे लागू नहीं।
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शेकी गई है/हैं लागू नहीं।

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धकोष टहराया गया है/नहीं टहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष टहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा): -लागू नहीं

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं -लागू नहीं।
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है -लागू नहीं।
- (iii) पुलिस थाना (थाने) रायपुर जिला (जिले) देहरादून राज्य उत्तराखण्ड।
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कमी आरोपित किया गया है -लागू नहीं।





(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे  
लागू नहीं।

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया  
है/रोके गए हैं

लागू नहीं।

स्थान: देहरादून  
तारीख:-10.01.2012


  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

## सत्यापन


मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 10.01.2012 को सत्यापित किया।



  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

  
10/01/2012  
Mahesh Khandelwal  
Advocate & Notary  
Dehra Dun